नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 27 Jul 2025 - 27raj5
epaper.navabharat.news

हत्यारे पिता व दो पुत्रों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

आरंग थाना अंतर्गत ग्राम भोथली में हत्या का मामला

नवभारत ब्यूरो। रायपुर। 21 अप्रैल 2024 को आरंग थाना अंतर्गत ग्राम भोथली में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या के मामले में रायपुर के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने पिता व दो पुत्रों को आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 100-100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस मामले में 23 जुलाई, बुधवार को न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की कोर्ट में सुनवाई पूर्ण हुई। अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय यादव ने कोर्ट को बताया कि 21 अप्रैल 2024 को ग्राम भोथली में सुबह 7 बजे आरोपी पिता व दो पुत्रों भागचंद बंजारे, गणेश बंजारे और महेश बंजारे ने आपसी विवाद में पड़ोसी युवक मोहनलाल सोनवानी को टंगिया और डंडे से मार-मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मारपीट के बाद तीनों

आरोपियों ने पैर पकड़कर घायल को सड़क पर घसीटा भी। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम की मदद से घायल को शासकीय अस्पताल आरंग में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीनों आरोपी जेल में रिमांड पर रहे। आरंग पुलिस ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्य, पीएम रिपोर्ट और आरोपियों के बयान कोर्ट में पेश किये। अभियोजक द्वारा कोर्ट से निवेदन किया गया कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है। आरोपी पिता व दो पुत्र हैं, जिन्होंने साथ मिलकर पड़ोसी मोहनलाल सोनवानी की हत्या की है। आरोपियों को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए। वहीं अभियुक्तगण की ओर से निवेदन किया गया कि भागचंद की उम्र 67 वर्ष और दोनों बेटों की उम्र 20 और 26 वर्ष है, जिनके आदतन अपराधी होने या पूर्व दोषसिद्ध के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं हैं।